



SUNRISE GREENS RESIDENTS WELFARE ASSOCIATION
12-A Ahimsa Khand, Indirapuram, Ghaziabad 201014 (Regd. 244/2008-09)

To

Date: July 20, 2010

**The Deputy Director, Electrical safety
Ghaziabad, UP**

Sub: Reminder to revalidate the N.O.C awarded to Jaipuria Sunrise, 12A, Ahinsha Khand, Indirapuram, Ghaziabad to immediately discontinue storage of Diesel in -2 level and installation of fire safety equipments as per NBC including installation of the fire lifts.

Dear Sir,

We are again bringing it to your notice in pursuance to the complaints from flat owners of Jaipuria Sunrise Green regarding primarily the following points:

1. The Stocking of more than 6KL of loose Diesel in plastic tanks (fuel for the DG sets) inside the (-2 LEVEL) DG room violating all norms and disrespecting the fact that it can cause major fire in the only main entrance area would result in major loss of life and property.
2. In the event of any fire in the stored Diesel at -2 LEVEL where no (class -C) or any fire extinguisher in the diesel generator room will result in major devastation and the entire entrance area shall be blown off entrapping the inhabitants in the absence of any alternative exit or entry.
3. The main water storage tank which is the source to the fire hydrants will also get damaged and the fire fighting equipments in these G+18 buildings will be out of operational resulting in a major catastrophe.
4. There is no fuel storage system in the buildings as per the NBC guidelines whereas the buildings have obtained the "Completion Certificate".
5. That the electric panel room is inundated with drainage water due to incomplete drainage system, posing serious threat of short-circuits and fire and in the absence of any fire detection system the fire go out o control.
6. That the buildings are not fitted with both the lifts and the fire lift as per the rules which has been a major source of worry for the inhabitants in these G+18 buildings.
7. That the incomplete civil works in the buildings are resulting in frequent water logging in the lift pits which can be a reason for electrocution and accident.

We request you to look into this matter and immediately take appropriate action so that the inhabitants can live safely.

Thanking You

With regards,

On behalf of Residents of Jaipuria Sunrise Greens, Indirapuram

For SUNRISE GREEN RWA.


Goutam De

President

CC: District Magistrate, Ghaziabad
SSP, Ghaziabad

120

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्रो शासन, गाजियाबाद रीजन, 10 बन्दूपुरी, गाजियाबाद
सं० - - - वि०सु०नि०/गा०बा० रीजन/सामान्य/निरीक्षण/ - - - दिनांक - 31-8-2010
सेवा में,

श्री गौतम डी,
सर्वश्री स्मराइज ग्रीन्स रेजीडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसियेशन,
12ए, अहिंसा कण्ड, इन्दिरापुरम,
गाजियाबाद ।

विषय- सर्वश्री जयपुरिया स्मराइज ग्रीन के फ्लैट ओनर्स द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में ।
प्रसंग- आपका पत्र दिनांक-20-7-10

प्रिय महोदय,
आपके द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं में से अधिकांश इस विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं, जिनके लिए सम्बन्धित विभागों से आप सम्पर्क कर लें । जहाँ तक जनरेटिंग स्टेशन के विद्युत इन्स्टालेशन, इलेक्ट्रिक पैनल के विद्युत इन्स्टालेशन एवं लिफ्ट्स के विद्युत इन्स्टालेशनों से सम्बन्धित बातें हैं, इस सम्बन्ध में थ्रिडर को सुरक्षा एवं जांच में लिखा जा रहा है ।

भावदीय

{गोपाल सिंह अधिकारी}

उप निदेशक

Regd
904 ①

सं० 904 वि०सु०नि०/गा०बा० रीजन/सामान्य/निरीक्षण/तद्विषयक/30 प्रो शासन
उपरोक्त की प्रतिलिपि सर्वश्री जयपुरिया स्मराइज, 12ए, अहिंसा कण्ड, इन्दिरापुरम,
गाजियाबाद को सूचनाार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली-1956 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता/ओनर को अपने विद्युत अधिष्ठापन को इस प्रकार मेन्टेन करना है कि वह हर समय जातरा रहित रहे। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन आख्या प्रेषित करें अन्यथा किसी अप्रिय स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे :-

- 1- जनरेटिंग स्टेशन पर डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थों को जातरनाक तरीके से स्टोर न किया जाय वहाँ अग्निशामक बाल्टियों के साथ-साथ एकतटैग्युसर भी लगाया जाये ।
- 2- पैनल रूम व जनरेटर रूम में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाय ।
- 3- पैनल रूम में किसी प्रकार से पानी की सीपेज न होने पाये तथा वहाँ के समस्त सिविल कार्य पूर्ण कर लिए जाय एवं वहाँ अग्निशामक बाल्टियों के साथ-साथ फायर एकतटैग्युसर भी लगाया जाय ।
- 4- भवन में लगायी गयी लिफ्ट्स के यांत्रिकी देहारेजा की जाय । लिफ्ट के सज्जाघर से यांत्रिक सक्षमता का प्रमाणक प्राप्त किया जाय। लिफ्ट पिट में पानी भराव को रोका जाय ।

G. D. Meena
{गोपाल सिंह अधिकारी}

उप निदेशक

सं० वि०सु०नि०/गा०बा० रीजन/सामान्य/निरीक्षण/विद्युत सुरक्षा 30 प्रो शासन
उपरोक्त की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गाजियाबाद /सं०सं०पी०, गाजियाबाद
की सेवा में सूचनाार्थ सादर प्रेषित ।

{गोपाल सिंह अधिकारी}

उप निदेशक

विद्युत सुरक्षा 30 प्रो शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

✓

△